श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश
518, न्यू मोती बंगला, एम.जी. रोड़, इंदौर–452 007

क्रमांकः बफ/तीन/2019/59473-525 इंदौर दिनांक 27-12-19

प्रति,

1. समस्त सहायक श्रमायुक्त (म.प्र.)
2. समस्त श्रम पदाधिकारी, सहायक श्रम पदाधिकारी (म.प्र.)

विषयः–मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के प्रभावी होने बाबद अधिसूचना।

संदर्भः–कार्यालयीन पत्र परिपत्र क्रमांक बफा/तीन/2019/52941–54 दिनांक 13.11.2019

उक्त विषयक संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करें। जिसके द्वारा राज्य शासन की मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 04 अक्टूबर, 2019 एवं दिनांक 01.11.2019 का उल्लेख करते हुए निर्देशित किया गया था कि जो इकाईयॉ मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत आती है, उदाहरणार्थ जो मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत अनुसूचित उद्योगों के अन्तर्गत है तथा गत 12 माहों में 100 से अधिक श्रमिक (ठेका श्रमिकों सहित) कार्यरत रहे हैं, उनके संबंध में भविष्य में इसी अधिनियम में कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

तथापि उक्त तिथि के पश्चात भी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रेषित किये जा रहे औद्योगिक विवाद के विभिन्न प्रकरणों में यह स्थिति समक्ष आयी है कि जिन शासकीय, अर्द्धशासकीय अथवा निजी स्थापनाओं पर मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के प्रावधान प्रभावशील है, उनके प्रकरण भी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत श्रम आयुक्त कार्यालय को प्रेषित किये जा रहे हैं। जबकि वैधानिक स्थिति यह है कि यदि उक्त प्रकरणों में संबंधित कार्यालय में अंतिम कार्यवाही/निर्णय दिनांक 01.11.2019 के पश्चात लिया जा रहा है, तो प्रकरण में कार्यवाही मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत की जाना चाहिए थी।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। यह भी ध्यान रखा जाए कि मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की **धारा 31** के प्रावधानानुसार श्रमिकों एवं श्रमिकों के प्रतिनिधियों अर्थात श्रम संघों तथा नियोजकों को अधिनियम की अनुसूची 1 एवं 2 में उल्लेखित विभिन्न विषयों पर सीधे सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर करने के अधिकार है। अतः प्रकरणों का **सूक्ष्म परीक्षण करते हुए** संराधक के समक्ष विवाद का निराकरण नहीं होने पर उक्तानुसार विधिक स्थिति होने पर उन्हें तदनुसार सीधे सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने का परामर्श दिया जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत औद्योगिक विवादों को सक्षम न्यायालय में संदर्भ करने के अधिकार **धारा 43** में राज्य शासन को है। अतः असफल प्रतिवेदन पूर्ण गंभीरता के साथ संदर्भ की सुस्पष्ट शर्तों के साथ श्रम आयुक्त कार्यालय को प्रेषित किया जावे। जिससे कि प्रकरण में आगामी कार्यवाही में अनावश्यक विलम्ब न हो।

उक्त के प्रकाश में सुनिश्चित करे कि उक्त निर्देशों का पालन किया जावे और मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 एवं म.प्र. नियम 1961 का गंभीरता से अध्ययन करते हुए प्रकरणों में कार्यवाही नियमानुसार निर्धारित समय–सीमा में सुनिश्चित की जावे।

27/12/19

(आशुतोष अवस्थी)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इन्दौर